प्रेस विज्ञप्ति

26.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने 25.09.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत हैदराबाद, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम में नौ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर के नाम पर डॉ. पचीपल्ली नम्रता उर्फ अथलूरी नम्रता द्वारा चलाए जा रहे अवैध सरोगेसी रैकेट के संबंध में की गई। तलाशी के परिणामस्वरूप रैकेट से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए, जिनमें डॉ. पचीपल्ली नम्रता उर्फ अथलूरी नम्रता द्वारा धोखाधड़ी किए गए जोड़ों का विवरण और उनके कब्जे वाली संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने धोखाधड़ी, ठगी, आपराधिक षड्यंत्र, अवैध सरोगेसी और बाल तस्करी के लिए हैदराबाद के गोपालपुरम पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। डॉ. पचीपल्ली नम्रता उर्फ अथलुरी नम्रता (यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर) एक सरोगेसी रैकेट के आधार पर निःसंतान दंपतियों को बच्चा मुहैया करा रही थी, जिसे उसने अपने कर्मचारियों और एजेंटों के साथ अपने क्लिनिक के माध्यम से संचालित किया था। निःसंतान दंपतियों को आईवीएफ के बजाय सरोगेसी विधि का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। पुलिस में दर्ज की गई प्रारंभिक शिकायत में यह खुलासा हुआ कि सरोगेसी विधि के माध्यम से बच्चे का विकल्प चुनने वाले दंपतियों को उनके अपने अंडाणु और शुक्राणु का उपयोग करके भ्रूण बनाने के लिए सरोगेसी के माध्यम से बच्चा देने का वादा किया गया था, जिसे क्लिनिक द्वारा व्यवस्थित सरोगेट मां में जांचा और प्रत्यारोपित किया जाएगा। उन्हें यह भी आश्वासन दिया गया कि क्लिनिक द्वारा सभी दस्तावेज़ों का प्रबंध किया जाएगा और डीएनए पुष्टि के बाद दंपत्ति को एक स्वस्थ बच्चा दिया जाएगा। इसके लिए, डॉ. नम्रता ने 30 लाख रुपये की राशि बताई, जिसमें से 15 लाख रुपये चेक द्वारा और 15 लाख रुपये नकद थे, जो सरोगेट को दिए जाने का दावा किया गया था। इसके बाद, दंपत्ति को एक लड़का सौंप दिया गया। हालाँकि, डीएनए सत्यापन से पुष्टि हुई कि बच्चा उनका जैविक बच्चा नहीं था। इस रैकेट में कुछ एजेंट भी शामिल पाए गए, जो गरीब, कमजोर और गर्भवती महिलाओं को पैसे का लालच देकर बच्चे के जन्म के तुरंत बाद अपना बच्चा छोड़ देने की व्यवस्था करते थे।

ईडी की जाँच से पता चला है कि डॉ. नम्रता ने कई दम्पतियों को उपरोक्त तरीके से ठगा और उनसे चेक व नकद के माध्यम से भारी रकम वसूली। इस रकम का एक हिस्सा उन सरोगेट्स/महिलाओं को दिया गया जिन्होंने अपने बच्चे दिए और इस प्रक्रिया में मदद करने वाले एजेंटों को कमीशन मिला। अपराध की अधिकांश राशि डॉ. नम्रता ने अपने पास रख ली और उसका इस्तेमाल उन्होंने संपत्ति अर्जित करने सहित निजी उद्देश्यों के लिए किया।

ईडी द्वारा की गई तलाशी में कुछ दस्तावेज जब्त किए गए, जिनसे पता चला कि वह हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, नेल्लोर, कोलकाता आदि में विभिन्न केंद्रों पर भारत भर के दम्पतियों को ऐसी सेवाएं दे रही थी। जब्त दस्तावेजों से यह भी पता चला कि डॉ. नम्रता 10 वर्षों से अधिक समय

प्रेस विज्ञप्ति

26.09.2025

से इन गतिविधियों में शामिल थी। उसने सरोगेसी समझौतों के रूप में कानूनी दस्तावेज तैयार किए ताकि यह दर्शाया जा सके कि निःसंतान दम्पति और वाहक (सरोगेट) स्वयं उससे संपर्क करते थे और वह केवल सरोगेसी सेवाएं प्रदान कर रही थी। जब्त दस्तावेजों से यह भी पता चला कि एक मामले में, विदेशी पासपोर्ट धारक माता-पिता को पता चला कि उसके क्लिनिक के माध्यम से जन्मा बच्चा उनका जैविक बच्चा नहीं था, जब डीएनए परीक्षण से यह पुष्टि होने के बाद कि बच्चा उनका जैविक बच्चा नहीं था, बच्चे का विदेशी पासपोर्ट अस्वीकार कर दिया गया। जब्त सामग्री में अपराध की आय से उसके द्वारा अर्जित संपत्तियों के दस्तावेज भी शामिल हैं।

आगे की जाँच जारी है।